खास-खबरें

जनसुनवाई में महीनों पुरानी समस्याओं का तुरंत हुआ समाधान

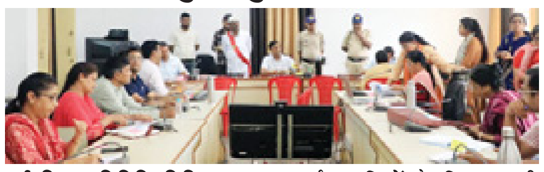

नईदुनिया, प्रतिनिधि, विदिशाः जनसुनवाई नागरिकों के लिए उनकी समस्याओं के समाधान का विश्वसनीय मंच बनती जा रही है। ताजा जनसुनवाई में कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने स्वयं आवेदकों से संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और प्रत्येक आवेदन का परीक्षण करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर पात्र मामलों में तत्काल कार्रवाई कराई। अनेक प्रकरणों में मौके पर ही समाधान कराया गया। जनसुनवाई में राजस्व, विद्युत, अतिक्रमण, नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र व नगरीय समस्याओं का मौके पर समाधान हुआ।

तीन माह बाद भी नहीं सुलझी लाखों की चोरी पीड़ित ने जांच की धीमी रफ्तार पर उठाए सवाल

नईदुनिया, प्रतिनिधि, बरेलीः नगर की प्रेम नगर कॉलोनी स्थित वार्ड क्रमांक-4 में करीब तीन माह पहले हुई लाखों रुपये की चोरी का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। मामले में पीड़ित कृष्णकांत दुबे ने पुलिस जांच की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार, उनके घर से सोने-चांदी के जेवरात और करीब सवा लाख रुपये नकद चोरी हो गए थे। घटना के तत्काल बाद बरेली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन लंबे समय बाद भी आरोपियों का पता नहीं चल सका है। कृष्णकांत दुबे का कहना है कि उन्होंने पुलिस को कई अहम सुराग उपलब्ध कराए हैं। घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए हैं। उन्होंने शक के आधार पर कुछ लोगों के नाम भी पुलिस को बताए, लेकिन उनके अनुसार अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने इस मामले में पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का दावा है कि गाडरवारा क्षेत्र के कोडिया निवासी एक युवक की गतिविधियां और हुलिया सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे व्यक्ति से मेल खाते हैं।

दि ऑक्सफोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल में अचीवर्स फेलिसिटेशन सेरेमनी-2026 का आयोजन

नईदुनिया, प्रतिनिधि, सीहोरः स्थानीय दि ऑक्सफोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, सीहोर में 'अचीवर्स फेलिसिटेशन सेरेमनी-2026' का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी शीलू शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं अंकुर शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत से हुआ। प्राचार्या डॉ. बीना जे. कुरियन ने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों को जीवन में निरंतर मेहनत, आत्मविश्वास एवं साहस के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व छात्र दिव्यांश अहीरवार (यूपीएससी आईएफएस एआईआर-127), गौरव अस्थाया (आईआईटी मार्डस), नितेश यादव एवं दीपांशु मेवाड़ा (भारतीय थल सेना), ललित वर्मा (भारतीय नौसेना), स्वाति मेवाड़ा (एम.पी. बोर्ड कक्षा 12वीं कला संकाय जिला टॉपर-95 प्रतिशत), नीव सक्सेना (कॉमर्स टॉपर), अन्वेषा राठौर (मैथमेटिक्स टॉपर) तथा लक्ष्मी कुशवाहा (बायोलॉजी टॉपर) को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि शीलू शर्मा, विशिष्ट अतिथि अंकुर शर्मा, संस्था अध्यक्ष एड. जॉली कुरियन एवं प्राचार्या डॉ. बीना जे. कुरियन ने सभी सम्मानित विद्यार्थियों को शॉल एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।

पीपलीनाका सीवर हादसाः जहरीली गैस से कर्मचारी की मौत, दो की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैनः शहर के पीपलीनाका क्षेत्र में सीवर लाइन की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सीवर चेंबर में उतरे तीन कर्मचारियों में से एक की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि दो अन्य कर्मचारियों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह टाटा प्रोजेक्ट के कर्मचारी अशोक, गोपाल डाबी और रमेश चौहान सीवरेज चेंबर की सफाई के लिए पहुंचे थे। काम के दौरान अशोक चेंबर में उतरा और जहरीली गैस के प्रभाव से बेहोश होकर गिर गया। उसे बचाने के प्रयास में गोपाल और रमेश भी अंदर उतर गए और वे भी गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए।

घटना के समय वहां से गुजर रहे पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने स्थिति को देखते हुए तत्काल डायल-112 और नगर निगम की रेस्क्यू टीम को सूचना दी। पुलिस और बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों कर्मचारियों को बाहर निकाला और उपचार के लिए चरक अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान अशोक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य कर्मचारियों का इलाज जारी है। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। निगम आयुक्त ने मृतक कर्मचारी के परिजनों को सीवर-सेप्टिक टैंक सफाई मित्र नियोजन प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कर्मचारियों को बिना ऑक्सीजन मास्क और गैस डिटेक्टर जैसे सुरक्षा उपकरणों के सीवर चेंबर में उतारा गया था। प्रशासन ने कंपनी की कार्यप्रणाली की जांच शुरू कर दी है। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सरपंच-सचिव के खिलाफ ग्रामीणों की पदयात्रा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कार्रवाई की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भैरूंदाः ग्राम पंचायत झाली और कुमानताल के ग्रामीणों ने पंचायत में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विरोध में मंगलवार को जनहित पदयात्रा निकाली। हाथों में तख्तियां लेकर ग्रामीण तहसील मुख्यालय पहुंचे और एसडीएम व जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की।

पदयात्रा ग्राम पंचायत झाली से शुरू हुई, जो करीब 15 किलोमीटर का सफर तय कर भैरूंदा पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने 'लूट नहीं, विकास चाहिए' और 'ईमानदार पंचायत चाहिए' जैसे नारों के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से होकर जनपद पंचायत कार्यालय तक मार्च

किया। जनपद कार्यालय पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण करीब एक घंटे तक कार्यालय के बाहर बैठे रहे। बाद में जनपद पंचायत सीईओ संजय अग्रवाल ने बाहर आकर ग्रामीणों से चर्चा की और ज्ञापन स्वीकार किया।

ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में पिछले कई महीनों से विकास कार्यों के नाम पर अनियमितताएं की जा रही हैं। उनका कहना है कि लाखों रुपये की राशि खर्च होने के बावजूद धरातल पर काम दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई योजनाओं को कागजों में पूर्ण दर्शाने के आरोप भी ग्रामीणों ने लगाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राहियों को लाभ नहीं मिलने और गांव में अवैध शराब बिक्री का मुद्दा भी उठाया। इसके बाद ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम सुधीर कुशवाह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि ग्राम पंचायत झाली और कुमानताल में पिछले 10 वर्षों में हुए सभी विकास कार्यों और योजनाओं की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा शासकीय राशि की वसूली की जाए। एसडीएम सुधीर कुशवाह ने ग्रामीणों को जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं जनपद पंचायत सीईओ संजय अग्रवाल ने बताया कि सरपंच और सचिव के खिलाफ पूर्व में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जांच कर रिपोर्ट जिला पंचायत को भेजी जा चुकी है और प्रक्रिया जारी है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बच्चों में लिवर और आंत की बीमारी एक प्रमुख समस्या है : डॉ. जैन

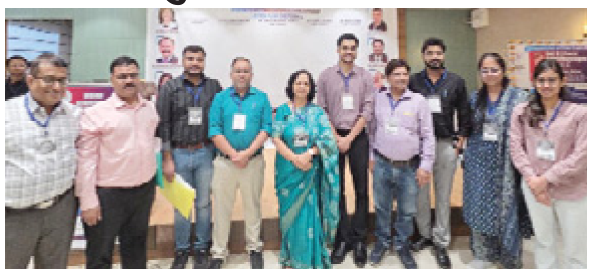

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशाः विदिशा नेशनल आईएपी प्रेसिडेंशनल एक्शन प्लान के अंतर्गत राष्ट्रीय आईएपी अध्यक्ष डॉ नीलम मोहन की विशेष अनुशंसा पर 'ज्वलंत स्वास्थ्य समस्या गट और लिवर' संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु होटल एनराइज सयाजी में विदिशा और आस पास के शिशुरोग विशेषज्ञों आईएपी सदस्यों के लिए विशेष कार्यशाला संपन्न हुई।

विषय विशेषज्ञ प्रमुख वक्ता झाँसी मेडिकल के शिशु विभाग प्रमुख डॉ घनश्याम चैधरी द्वारा नवजात शिशु एवं बच्चों में जिद्दी पीलिया एवं ट्रॉपिकल बीमारियों में लिवर की स्थिति, मिरैकल हॉस्पिटल भोपाल के संचालक डॉ राकेश मिश्रा द्वारा लिवर के इन्फेक्शन और लिवर फंक्शन टेस्ट तथा गांधी मेडिकल कॉलेज शिशु विभाग के प्राध्यापक डॉ राजेश टिक्कस द्वारा बच्चों में कब्ज की समस्याओं, बच्चों के समुचित विकास के लिए आवश्यक पोषण आहार पर सारगर्भित उद्बोधन प्रदान कर आईएपी सदस्यों को प्रशिक्षित और पारंगत किया गया।

मध्यप्रदेश आईएपी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मेडिकल कॉलेज विदिशा की विभाग प्रमुख डॉ नीति अग्रवाल, आईएपी विदिशा के अध्यक्ष डॉ एम के जैन ने बताया कि इंडियन अकैडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, विदिशा शाखा की ओर से आयोजित महत्वपूर्ण और अनूठी वर्कशॉप गट और लिवर कैलीडोस्कोप नाम ही स्वयं में एक संदेश है, जो हमें गट और लिवर की बीमारियों को विभिन्न दृष्टिकोणों और नवीनतम जांचों के माध्यम से समझने के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में, हमें हर बाह्य रोगी विभाग में पेट दर्द, बार-बार दस्त, कब्ज, जिद्दी पीलिया या बढ़े हुए लिवर एंजाइम वाले बच्चों के मामले अधिक देखने को मिलते हैं। आज की इस कैलीडोस्कोप कार्यशाला से हम अपने ज्ञान के रंगों को और अधिक गहरा और उज्ज्वल कर सकेंगे।

हम जानते है कि गट और लिवर - पोर्टल एक्सिस से जुड़े हैं, और आंत की कोई भी समस्या सीधे लिवर को प्रभावित करती है, और लिवर की बीमारी आंत के स्वास्थ्य पर असर डालती है इसलिए, दोनों को एक साथ समझना आज समय की अनिवार्य मांग है।

सार्थक एप की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

सीहोर। मध्यप्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ, जिला इकाई सीहोर द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम कलेक्टर सीहोर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कृषि विस्तार अधिकारियों के लिए सार्थक एप के माध्यम से अनिवार्य उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था समाप्त करने की मांग की गई।

संघ ने ज्ञापन में बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, जिनके क्रियान्वयन में कृषि विस्तार अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकारियों को प्रतिदिन गांव-गांव जाकर किसानों को योजनाओं की जानकारी देने,

तकनीकी मार्गदर्शन करने तथा विभिन्न विभागीय कार्यों का संपादन करना पड़ता है। संघ का कहना है कि वर्तमान में सार्थक एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता के कारण अधिकारियों, विशेषकर महिला कृषि विस्तार अधिकारियों को अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, समय पर उपस्थिति दर्ज करने में होने वाली परेशानी तथा क्षेत्रीय कार्यों के दौरान अनावश्यक बाधाएं कार्य क्षमता को प्रभावित कर रही हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कई बार अधिकारियों को विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य शासकीय दायित्व भी निभाने पड़ते हैं।

गंजबासौदा क्षेत्र में अब तक 255 मिमी बारिश

गंजबासौदा। क्षेत्र में मानसून की स्थिति कृषि के लिहाज से संतोषजनक बनी हुई है। अब तक क्षेत्र में 255 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिससे खरीफ फसलों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। किसानों के अनुसार वर्तमान स्थिति में फसलों की बढ़वार के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है। पिछले वर्ष इसी अवधि तक क्षेत्र में 222 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस वर्ष अब तक 255 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। पिछले साल की तुलना में इस बार बारिश का क्रम बेहतर बना हुआ है।

मंदसौर कांग्रेस की विस्तारित बैठक में केंद्र सरकार पर निशाना, मीनाक्षी नटराजन ने सत्याग्रह का किया आह्वान

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौरः जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करने का आह्वान किया। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर भी चर्चा की गई।

मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि भाजपा सरकारें वोट चोरी करते-करते अब लोगों के भविष्य और आस्था से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। उन्होंने भगवान श्रीराम के मंदिर में हुई चोरी की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करेंगे। उन्होंने राज्यसभा चुनाव से जुड़े घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि नामांकन पत्र निरस्त करने के मामले में कांग्रेस जल्द ही उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रतिरोध का आह्वान किया है, जिसका अर्थ सत्याग्रह है।

कार्यालय थाना प्रभारी थाना निशातपुरा भोपाल

क्र./था.प्र./नि.पुरा/डी-478/2026 थानानिशातपुरा दिनांक28/06/2026

सूचना का प्रकाशन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है थाना निशातपुरा भोपाल के गुम इंसान क्र. 81/2026 गुमशुदा कमल सिंह पिता भगवान सिंह उम्र 75 साल नि.म.नं.06 कमलेश नगर पलासी करोद भोपाल 13/06/26 को बिना बताऐ घर से चले गऐ है जिनका हुलिया बदन इकैहरा रंग गेंहुआ कद करीब 5.5 फिट सफेद रंग की बनियान सफेद रंग की लुंगी कत्थाई रंग की चप्पल पहने है। जो बिना बताऐ घर से चले गऐ है। जो अब तक घर वापस नही आऐ है जिनका अपने परिवार वालो मे सभी जगह पता कियाहै जिनकी कोई जानकारी नही मिली जिसका थाना निशातपुरा भोपाल मे गुम इंसान क्रमांक 81/2026 कायम कर जाँच मे लिया गया है जिसकी कोई भी जानकारी मिलने पर थाना निशातपुरा भोपाल मो.नं. 7587601924 या 7049104266 पर सुचित करे।

थाना निशातपुरा भोपाल फोन.न. 07552677390, 9981222700 पर संपर्क कर जानकारी देने का कष्ट करें।

थाना प्रभारी
थाना निशातपुरा नगरीय पुलिस
भोपाल (म.प्र.)

जी-15355/26

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति
औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन

क्र. मंडी/निर्माण/2026-27/392 ओबेदुल्लागंज, दिनांक : 07.07.26

निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति औबेदुल्लागंज की उपमंडी सुल्तानपुर में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत तौल कांटा की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम क्रमांक 2026_MPSAM_519791 1 के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदायें दिनांक 10.07.2026 को 11:30 बजे से दिनांक 31.07.2026 को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल **www. mpmandiboard.gov.in** पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट :- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/126750/2026 सचिव

परिशिष्ट B-संख्यांक 13

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भोपाल

नोटिस प्रकाशर हेतु उत्तराधिर।

एमजेसी एसयूसी/96/2026
सुमन माली बनाम भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई
NEXT DATE :20-08-2026

प्रेषिती,...............

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुमन होशंगाबाद रोड, भोपाल, म.प्र. ने मृतक स्वः श्री हरेश्वर कुमार माली की राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकार अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 20-08-2026 को नियत है । यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 20-08-2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 16-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्यायाधीश
पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

820

परिशिष्ट B-संख्यांक 13

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल छठे व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, भोपाल

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

आरसीएस ए/302/2025
वंदना जोशी बनाम हरिराम
NEXT DATE :21-08-2026

प्रेषिती, हरिराम गया प्रसाद पता- आर.बी.-1/165 खजाची बाग भोपाल म.प्र. **यह कि प्रार्थी** वंदना जोशी ने आपके विरूद्ध आरसीएस ए/302/2025 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 17-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

श्रीमती तनुश्री शिवहरे, न्यायाधीश
छठे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

837

परिशिष्ट B-संख्यांक 13

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल छठे व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, भोपाल

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

आरसीएस ए/302/2025
वंदना जोशी बनाम हरिराम
NEXT DATE :21-08-2026

प्रेषिती, शारदा गुप्ता ए.के. गुप्ता पता-7/2 एस.बी.आई. आफिसर कॉलोनी चार ईमली भोपाल म.प्र. **यह कि प्रार्थी** वंदना जोशी ने आपके विरूद्ध आरसीएस ए/302/2025 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 17-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

श्रीमती तनुश्री शिवहरे, न्यायाधीश
छठे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

838

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड शाखा भोपाल एम. पी. नगर शाखा प्रबंधक महोदय के दिशा निर्देशानुसार व उपलब्ध करवायें गये दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री सत्यराम के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य का एक किता भूखण्ड जो कि खसरा क्रं.-38, जो कि खसरा क्रं. 23, एवं वर्तमान खसरा अनुसार खसरा क्रं. 23/2/1/1/1/1 (S) का अंशभाग होकर ग्राम महोली, पटवारी हल्का-दामखेड़ा तह.- हुजूर, जिला भोपाल में वार्ड नं. 74 में स्थित हैं। इस संपत्ति को श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री सत्यराम द्वारा श्रीमती प्रिया शाह पुत्री श्री रंगलाल शाह एवं पत्नी श्री मुकेश कुमार से दिनांक 17/07/2025 को राजि. विक्रय पत्र-जिसका ई. पंजीयन क्रमांक- MP431GR16962025A100619645 पर सब राजि. कार्यालय भोपाल में पंजीबद्ध है। इस संपत्ति को प्रिया शाह ने दिनांक 27/08/2021 को रजि. विक्रय पत्र द्वारा-क्रय की थी जिसका ई. पंजीयन क्रं.-MP059712021A1732773 पर सब रजि. कार्यालय में पंजीबद्ध है। जिसे विक्रेता उषा सिन्हा पत्नी श्री मनमोहन मिश्रा से क्रय की थी। यह कि उषा सिन्हा द्वारा उक्त संपत्ति को विक्रेता श्री कालूराम साहू आत्मज श्री गिरधारी लाल साहू से दिनांक 25/01/2019 को क्रय की थी जिसका ई. पंजीयन क्रं.-MP 059712019A1061002 पर सब रजि. कार्यालय में पंजीबद्ध है। यह रजि. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री सत्यराम से कहीं गुम हो गई है जिस संबंध में सूचना संबंधी स्वीकृति थाना-प्रभारी महोदय छोला मंदिर थाना से प्राप्त कर ली गई है। उक्त संपति जो कि मुन्नी बाई के नाम पर पंजीबद्ध है। वह उसकी लिंक रजिस्ट्री है। मुन्नी बाई के पक्ष में आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड भोपाल (म.प्र.) स्वीकृत लोन हेतु लोन स्वीकृति प्रदान की जा चुकि है, उक्त संपत्ति का किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्था, बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से हित हो, या उक्त संपत्ति कहीं भी दान-बंधक, या गिरवी रखी हो, तो आगामी सात दिवस के अंदर मेरे कार्यालय या मोबाइल नं. पर संपर्क कर मय-दस्तावेज प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि पश्चात् प्रस्तुत आपत्ति अमान्य रहेगी।

ANAMIKA NATH, ADVOCATE
OFFICE cum Resi. H.No.29, Satakshi Garden, Khajuri Kalan Road, Piplani, Bhopal (M.P.)402022 Mob.9039026897

839

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

ओल्ड सुभाष नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भूखण्ड/भवन क्रमांक जूनियर एच.आई.जी. 18 मण्डल द्वारा श्री छोटन प्रसाद आत्मज स्व. श्री रामधनी प्रसाद के नाम पर हस्तान्तरण आदेश क. 356-64 दिनांक 20/08/1987 को हस्तान्तरित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 13/09/1995 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। आवंटी द्वारा लीज नवीनीकरण दिनांक 27/01/2022 को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत करवा ली गई है। श्री छोटन प्रसाद द्वारा संपत्ति का रजिस्टर्ड वसीयतनामा 1) श्री कुमार धीरेन्द्र 2) श्री कुमार पूरन 3) श्री प्रभात श्रीवास्तव पुत्रगण श्री छोटन प्रसाद 4) श्री तनिष्क श्रीवास्तव आत्मज स्व. श्री निर्मल कुमार के संयुक्त नाम पंजीयन कार्यालय से दिनांक 21/12/2020 को निष्पादित कराया गया है। श्री छोटन प्रसाद (पिता/दादा जी) की दिनांक 11/11/2022, श्रीमती गीता प्रसाद पत्नी श्री छोटन प्रसाद (माता/ दादी जी) की दिनांक 05/05/2013 एवं श्री निर्मल कुमार आत्मज श्री छोटन प्रसाद (भाई/पिता जी) की दिनांक 10/06/2016 को मृत्यु होने के उपरांत उनके पुत्रगण/पोता 1) श्री कुमार धीरेन्द्र आत्मज श्री छोटन प्रसाद 2) श्री कुमार पूरन आत्मज श्री छोटन प्रसाद 3) श्री प्रभात श्रीवास्तव आत्मज श्री छोटन प्रसाद 4) श्री तनिष्क श्रीवास्तव आत्मज स्व. श्री निर्मल कुमार के द्वारा उक्त संपत्ति को अपने संयुक्त नाम पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, मूल आवंटी के अन्य वारिसों का अनापत्ति शपथ-पत्र, नोटरीकृत वसीयतनामा की छायाप्रति, परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मण्डल प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति 1) श्री कुमार धीरेन्द्र आत्मज श्री छोटन प्रसाद 2) श्री कुमार पूरन आत्मज श्री छोटन प्रसाद 3) श्री प्रभात श्रीवास्तव आत्मज श्री छोटन प्रसाद 4) श्री तनिष्क श्रीवास्तव आत्मज स्व. श्री निर्मल कुमार के संयुक्त नाम से नामान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो ता 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

840

कार्यालय : रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अटलांटिस मल्टी रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

(पंजीयन क्रमांक /डी.आर.बी. /1453, दिनांक 13.07.2020)

क्र./निर्वा.अधि./2026/03 दिनांक 07.07.2026

सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा, भोपाल को-आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड शाखा मिसरोद, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 07/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 07/07/2026 से 15/07/2026 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 16/7/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट/साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

(ओ.पी. मालवीय)
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
अटलांटिस मल्टी रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

841

कार्यालय : रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राईड सिटी फेस-2 रहवासी रखरखाव सहकारी समिति मर्यादित, कटारा हिल्स, भोपाल

(पंजीयन क्रमांक /डी.आर.बी. /1429, दिनांक 19.12.2019)

क्र./निर्वा.अधि./2026/03 दिनांक 07.07.2026

सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन/विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा, भोपाल को-आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, शाखा मिसरोद भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 07/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 07/07/2026 से 15/07/2026 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 16/07/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट / साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

(सपना गुहा)
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राईड सिटी फेस-2 रहवासी रखरखाव सहकारी समिति मर्यादित, कटारा हिल्स, भोपाल

842

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इनोक्स गार्डन रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

(पंजी. क्र. /डी.आर./बीपीएल139599, दिनांक 05.04.2024)

क्र./रजि. अ./2026/02 दिनांक 03.07.2026

सूचना

सूचित किया जाता है कि, संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन विशेष साधारण सम्मिलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था कार्यालय के नोटिस बोर्ड, कार्यालय उप-आयुक्त सहाकारिता, भोपाल, विकास खण्ड फंदा, भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, शाखा एच.ई.टी. पिपलानी, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 07/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 07/07/2026 से दिनांक 15/07/2026 तक मुझको कार्यालयीन समय दोपहर 12.00 बजे से 03.00 बजे तक कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, (डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय) भोपाल में सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, (डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय), भोपाल में दिनांक 16/07/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जावेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

(मीरा देवी)
कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इनोक्स गार्डन रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

843

न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला भोपाल

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, तृतीय तल विन्ध्याचल भवन भोपाल।

समक्षः डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भोपाल

प्र. क्र -DR/BPL/84(A)/2025-26/ 00006

कमांक/रीडर/2026/ भोपाल, दिनांक

हरिसिद्धी कैम्पस रहवासी रखरखाव, सहकारी समिति मर्या. चॉदबड, भोपाल, द्वारा अध्यक्ष....**आवेदक/वादी....विरुद्ध** ...श्रीमती सुजाता गहलोत, पत्नी श्री मनोज गहलोत, निवासी म.नं. 26, हरिसिद्धी कैम्पस, खुशीपुरा, चॉदबड भोपाल म.प्र. पिन462010..**अनावेदक/प्रतिवादी**

विषयः- म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 84 (A) के अंतर्गत सुनवाई हेतु सूचना पत्र।

उपरोक्त सूचना पत्र द्वारा अनावेदक/प्रतिवादी पक्षकार को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु इस न्यायालय में पेशी दिनांक 29.07.2026 नियत की गई हैं। अतः उक्त दिनांक को न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भोपाल **समक्षः-डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भोपाल स्थानः कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म.प्र. तृतीय तल विन्ध्याचल भवन भोपाल में समय दोपहर 3.00 बजे** उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इस सूचना पत्र द्वारा यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आप स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त दिनांक को नियत स्थान एवं समय पर उपस्थित नहीं हुए तो प्रकरण में एक पक्षीय आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

उप पंजीयक(न्यायिक)
सहकारी संस्थायें जिला भोपाल

844